वित्तीय स्वीकृति

संख्या-43/2016/1531/52-3-2016-सा(2)/2015(बरेली)

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 20 □□, 2016

विषयः-अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजनान्तर्गत जनपद बरेली में बालिकाओं हेतु मा◌ॅडल इण्टर कालेज की स्थापना किये◌े जाने के लिये वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है □□□□□□ □0-2589/52-3-14-□□□(01)/2014 दिनांक 20.11.2014 द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजना लागू करते हुये योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के 20 चयनित जनपदों में बालक व □□□□□ □□□□ □□□ □□□-□□□ □□-एक मा◌ॅडल इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना अपेक्षित है।

2. उक्त योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी बरेली द्वारा जनपद बरेली में बालिकाओं हेतु मा◌ॅडल इण्टर कालेज की स्थापना के लिए निम्न प्रकार भूमि का अधिग्रहण किया गया है:-

क्र0 □0	परियोजना □□ □□□	विकास खण्ड	स्थान	भूमि वर्ग उपलब्धता (हेक्टेयर में)	अल्पसंख्यक आबादी क प्रतिशत
1	माडल इण्टर	□□□□	□□□□□□,	0.5690	49.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	□□□ (□□□□□)		□□□□□□ □□□□		

3. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना हेतु रू0 85,00,00,000/- (रू0 पच्चासी करोड़ मात्र) का पूंजीगत आय व्ययक प्राविधान उपलब्ध है। जनपद बरेली में जिलाधिकारी बरेली द्वारा अधिग्रहीत की गयी उक्त भूमि पर बालिकाओं हेतु मा ॅडल इण्टर कालेज के निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु सी0 एण्ड डी0□□0 (कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 □□□□) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये तथा माडल इण्टर कालेज के लिए रू0 03,02,00,000/- (रू0 □□□ □□□□ □□ लाख मात्र) की निर्माण लागत अनुमोदित करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 01,51,00,000/- (रू0 एक करोड़ इक्यावन लाख) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) मा ॅडल इण्टर कालेज के निर्माण हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि जिलाधिकारी बरेली के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिसे उनके द्वारा शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड0 डी0□□0 को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) मा ॅडल इण्टर कालेज का निर्माण माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मानकीकृत स्टीमेट एवं डिजाइन के अनुरूप कराया जायेगा।

(3) निर्माण कार्य हेतु एक समय सीमा निर्धारित की जायेगी तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

(4) प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपभोग तथा कार्य की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी, बरेली द्वारा किये जाने के उपरान्त द्वितीय किश्त अवुमक्त की □□□□□

4. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, □□□□, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यय-05- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी 1-746/दस -2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या-1531(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, शासन
4- सचिव , बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, शासन
5- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बरेली
6- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली
7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली
8- निदेशक , उ0प्र0 सी)एण्ड डी0एस 0, उ0प्र0
9- कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ /वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
10- वित्त (ई-11) अनुभाग /नियोजन -3/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -1/वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग -1(03 प्रतियों में)/बजट सहायक /गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in